



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
CHHATTISGARH HOUSING BOARD

www.cggb.gov.in



Hon'ble Chief Minister
Shri Bhupesh Baghel



Hon'ble Minister
Transport, Forest,
Housing & Environment
Shri Mohammad Akbar



Hon'ble Chairman
Shri Kuldeep Singh Juneja

सामान्य आवास योजना **देवरीखुर्द फेस-२**

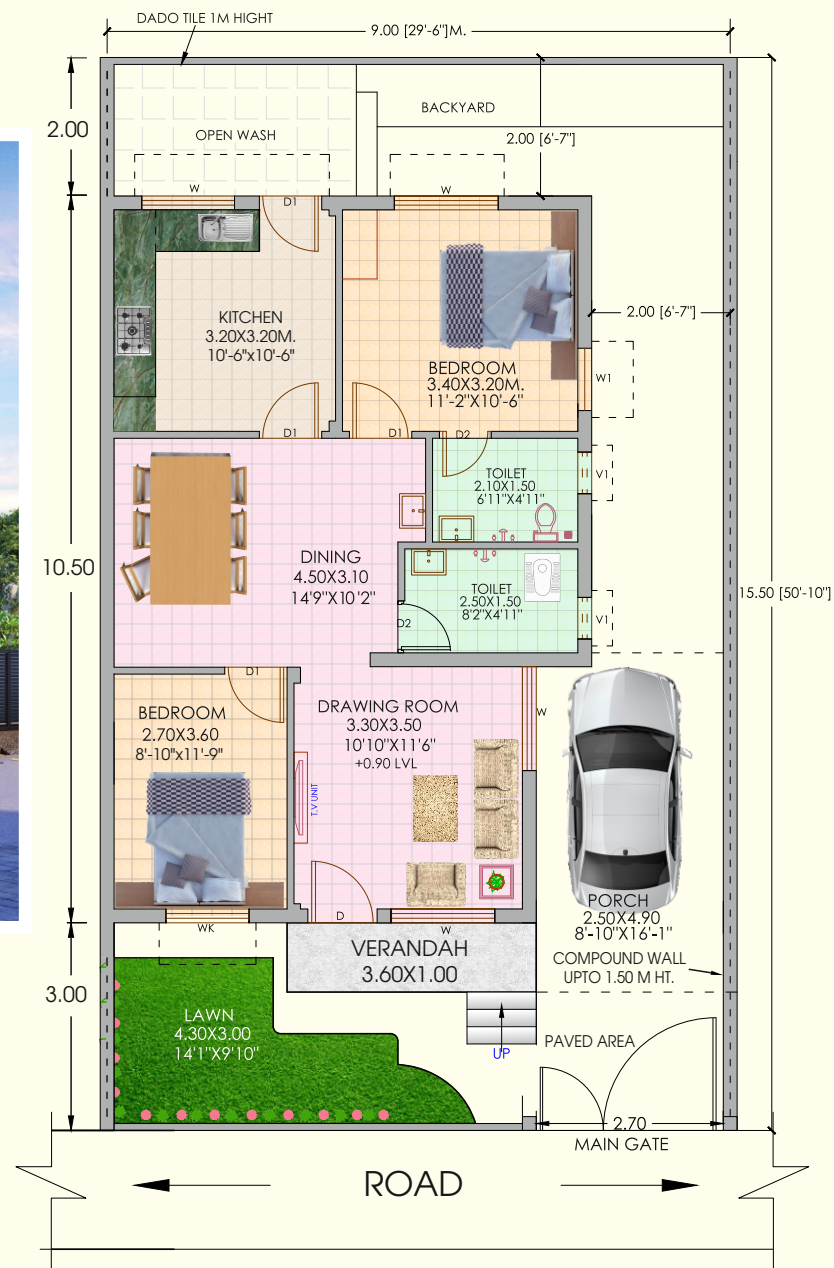
हम मकान नहीं घर बनाते हैं -
पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं ...

विशेष टीप : 1. इस विवरण पुस्तिका में दिए गए माप, विशिष्टियाँ, अभिन्यास, आदि वास्तुविद् द्वारा परिकल्पित आधार पर तैयार ड्राईंग एवं छायावृत्तियाँ हैं। इनमें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अथवा वास्तुविद्/सलाहकार द्वारा परिवर्तन/विस्तार आदि आवश्यकतानुसार किये जा सकते हैं। 2. यह विवरण पुस्तिका वैधानिक दस्तावेज नहीं है।

MIG



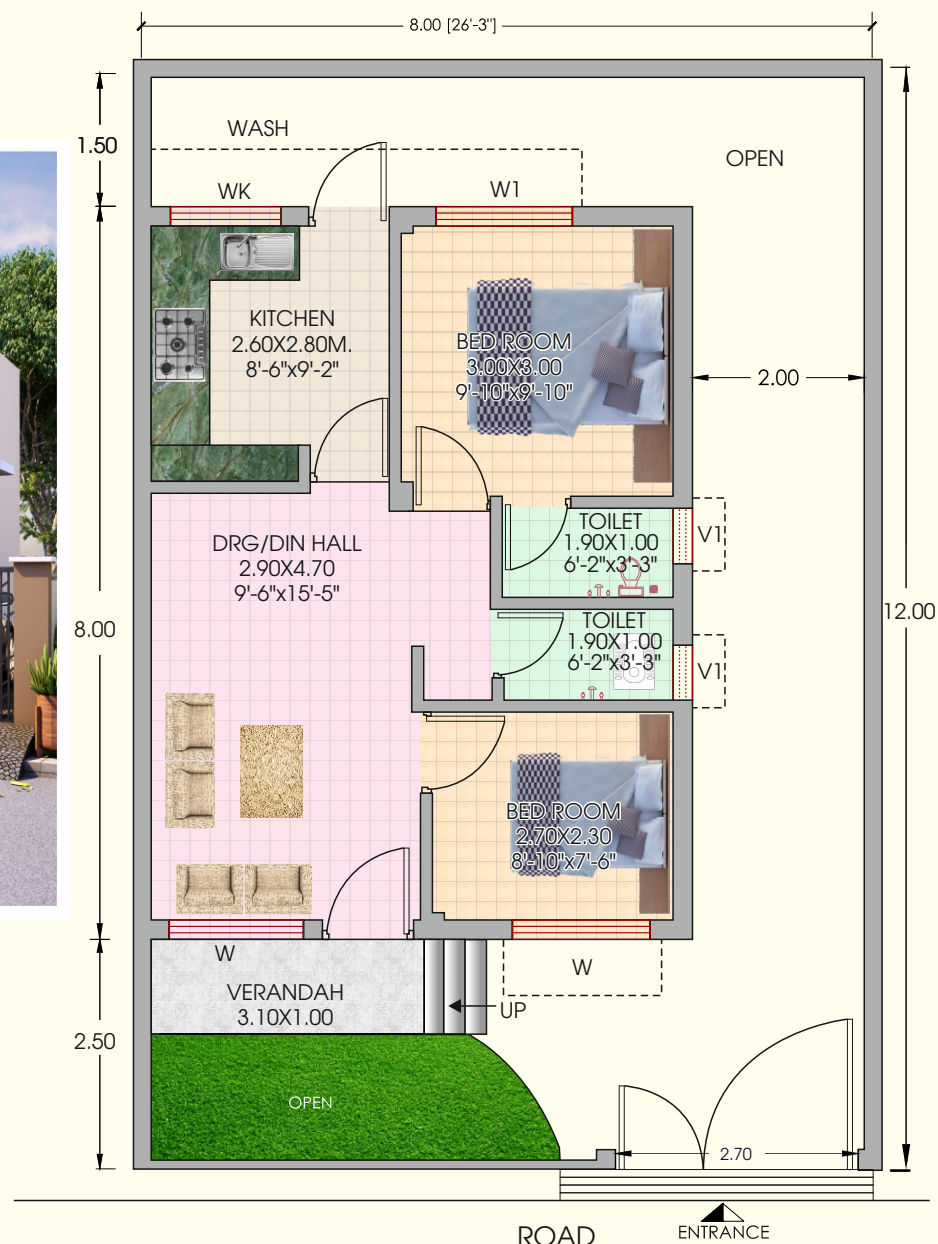
Plot Size : 9.00 m x 15.50 m
 Plot Area : 139.50 sqm. (1501.02 sqft.)
Built Up Area :-
 Ground Floor : 79.70 sqm. (857.57 Sqft.)
 l/c 1/2 Verandah & Porch



LIG



Plot Size : 8.00 m x 12.00 m
 Plot Area : 96.00 sqm. (1032.96 sqft.)
Built Up Area :-
 Ground Floor : 49.80 sqm. (535.85 Sqft.)
 I/c 1/2 Verandah & Porch

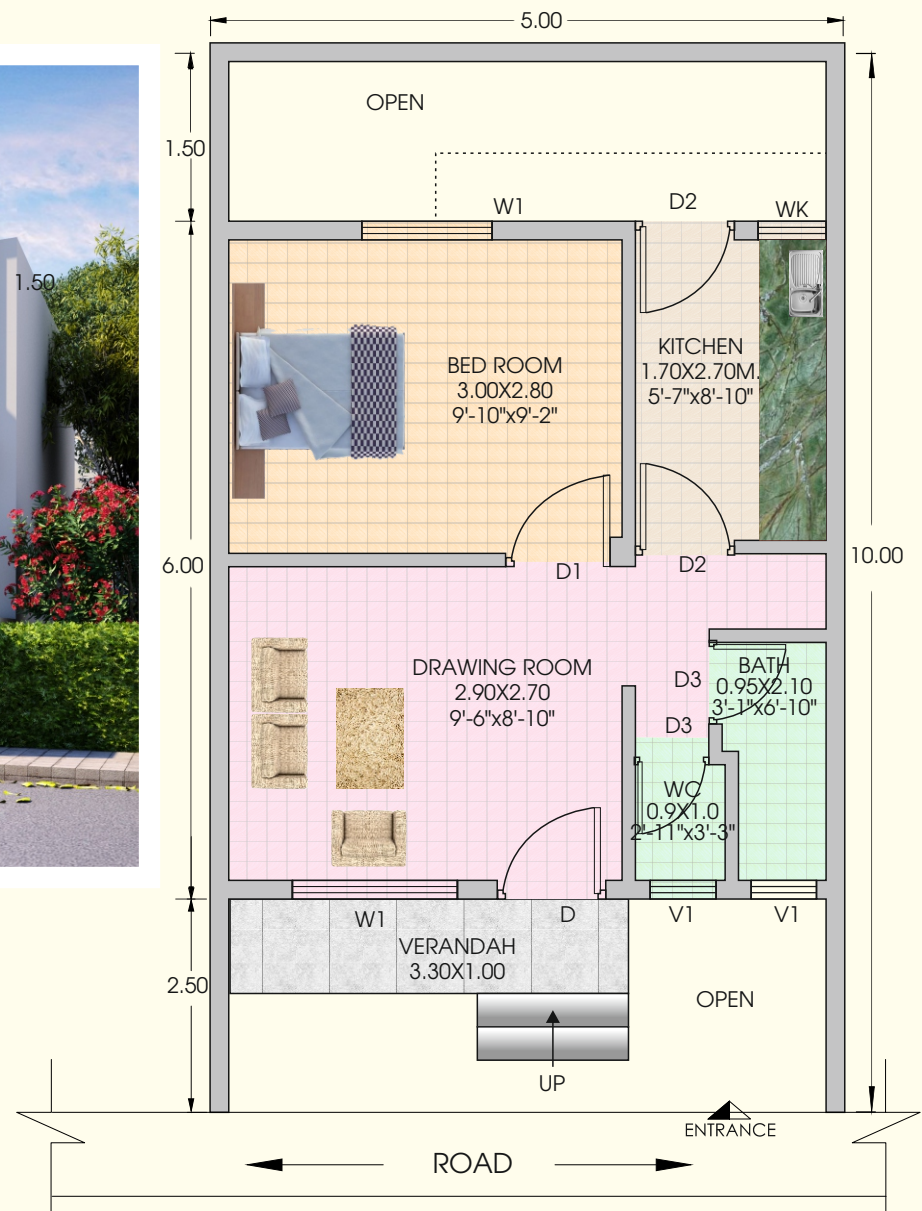


GROUND FLOOR PLAN

EWS



Plot Size	: 5.00 m x 10.00 m
Plot Area	: 50.00 sqm. (538.00 sqft.)
Built Up Area :-	
Ground Floor	: 31.70 sqm. (341.09 Sqft.)
I/c 1/2 Verandah & Porch	



GENERAL SPECIFICATION

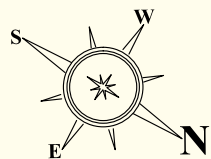
Type of House	:	MIG , LIG & EWS Houses
1.) Foundation	:	Column footing with R.C.C. 1:1 ^{1/2} :3 of nominal mix Concrete as required. Over 10Cm Thick M 7.5 P.C.C.
2.) Plinth	:	Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) in CM 1:6 has been provided with 0.80 M. filling due to as per site condition
3.) Superstructure		
(I)		R.C.C. Column , beam & slab with nominal mix 1:1 ^{1/2} :3 of nominal Mix Concrete.
(ii)		Brick work with modular fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) in CM 1:6 has been provided
4.) Under Floor	:	Sand/ Crusher dust & hard Moorum has been used for filling plinth. Upto. 0.80m. as per site condition
5.) Flooring		
(i)		Ceramic tiles to be used for flooring in Toilets etc.
(ii)		Vitrified Tiles 600 X 600 mm double charge to be used for flooring in Bedroom, hall & kitchens for mig & lig
(iii)		Ceramic tiles 300x300 mm to be used for flooring in Bedroom, hall & kitchens for ews
(iv)		At kitchen Platform granite stone for MIG, Udaipur Green Marble for LIG, rajim stone for EWS & at Dado ceramic Tiles provision are given
6.) Doors		
(i)		All door shutters are 35/30 mm thick flush door shutters& at Toilet PVC shutter used with M.S.Door fitting for MIG , LIG & EWS Houses
(ii)		All Door chaukhat of Sal, bijasal, benteak, khair, haldu wood for MIG & LIG Houses
(iii)		All Door chaukhat of MS Angle Frame for EWS Houses
7.) Windows		
(i)		All Window & ventilators are aluminium section with 5mm thick float glass provision are given for MIG & LIG Houses
(ii)		MS Z-Section Window with 4mm glass provision are given for EWS Houses
8.) Steel Work	:	Iron grills in windows has been Provided
9.) Plastering	:	12mm thick plaster for smooth side, 15mm thick plaster for rough side, 15mm thick plaster for outer walls & 6mm thick plaster for ceiling has been used in this building. With partialy chicken mesh at both side plaster
10.) Painting	:	All wood work & Steel work is painted with synthetic Enamel paint. Inner walls are painted with Distempering with acrylic washable distemper with putty for MIG, LIG & Distempering with acrylic washable distemper for EWS. Outer walls are painted with ACRYLIC SMOOTH exterior paint for MIG , LIG & EWS Houses.
11) Water Proofing	:	Providing Grading of roof with water proofing treatment for MIG , LIG & EWS Houses.
12) Sanitary	:	G.I. Pipe to be used for water supply & U.P.V.C. pipe to be used for Drainage pipe line purpose.

ऑनलाईन पंजीयन/आबंटन की प्रक्रिया (स्ववित्तीय आधार पर)

नियम एवं शर्तें ...

1. नियत समयावधि में जितने भी पंजीयन प्राप्त होंगे उन सभी पंजीयन कर्ताओं को ऑनलाईन लाटरी के माध्यम से भवन आबंटित किये जावेंगे।
2. यदि पंजीयनकर्ता ऑनलाईन लाटरी से आबंटित भवन को स्वीकार नहीं करता है तो नियमानुसार मंडल को भुगतान की गई कुल राशि में से पंजीयन राशि कटौती/राजसात की जाकर शेष राशि लौटाई जावेगी तथा कोई भी ब्याज राशि पर देय नहीं होगा।
3. भवन का आबंटन मंडल की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। (1) अनुसूचित जाति 6% (2) अनुसूचित जनजाति 4% (3) पिछड़ा वर्ग 6% (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1% (5) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (6) शारीरिक विकलांगों के लिए 3% (7) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (8) पत्रकार 2% (9) शासकीय कर्मचारी (रायपुर) के लिए 5% (10) शासकीय कर्मचारी अन्य नगर के लिए 3% (11) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित वर्ग के लिए 2% (12) मंडल के कर्मचारियों के लिए 1%
4. ऑनलाईन लाटरी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है एवं हर परिस्थिति में ऑनलाईन लाटरी की प्रक्रिया ही मंडल की ओर से मान्य होगी।
5. भवनों के पंजीयन प्राप्त करने के पश्चात् ऑनलाईन लाटरी के माध्यम से आबंटन की जावेगी।
6. लाटरी मण्डल नियमानुसार प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा की जावेगी जिसमें किसी भी प्रकार की मैन्युअल व्यवधान/हस्तक्षेप नहीं होगा।
7. मण्डल द्वारा भवन आबंटन/ऑनलाईन लाटरी मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
8. ऑनलाईन पंजीयन अंतर्गत पंजीयनकर्ता स्वयं की जानकारी प्रविष्टि कर मण्डल नियमानुसार निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने पश्चात् पेमेंट गेटवे के माध्यम से RTGS/NEFT/NET BANKING / UPI/DEBIT CARD/CREDIT CARD द्वारा भुगतान कर सकता है।
9. सामान्य आवास योजना में ई.डब्ल्यू.एस. भवन हेतु 3 लाख एवं एल.आई.जी. भवन हेतु 6 लाख तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र देय होगा।
10. आवेदक द्वारा परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार का मैन्युअल पंजीयन/डाक/ऑफलाईन फार्म/अपूर्ण जानकारी/अपूर्ण भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी/दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर किसी भी समय आबंटन निरस्त करने हेतु मण्डल सक्षम होगा।
11. ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु मण्डल नियमानुसार दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट साईज फोटो, आय प्रमाण पत्र, वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
12. भवनों के 60% पंजीयन प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
13. भवनों के आबंटन/लाटरी में समय-समय पर मण्डल द्वारा जारी किये गये परिपत्रों/नियमों का पालन किया जावेगा।

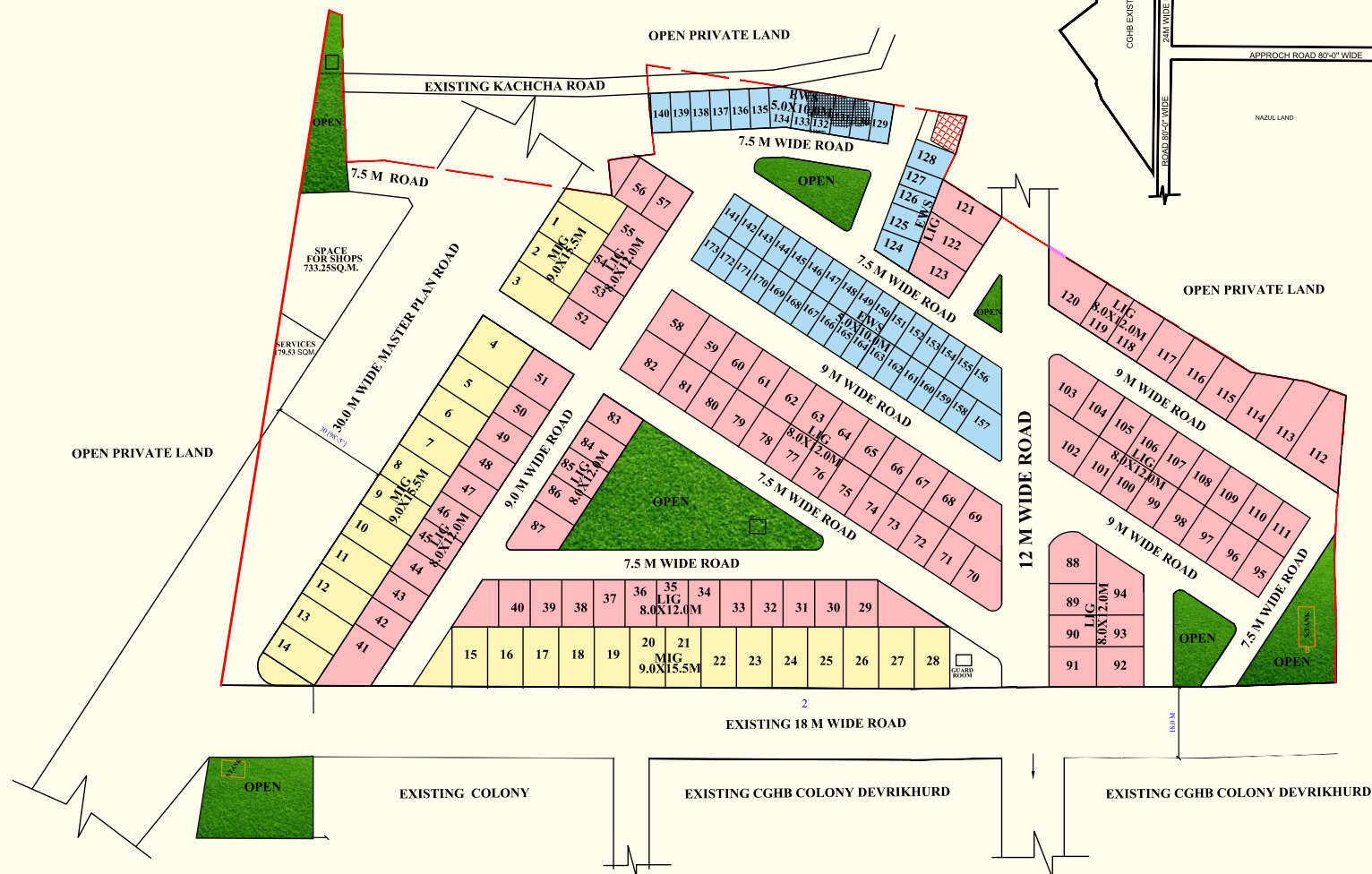
विशेष टीप : 1. इस विवरण पुस्तिका में दिए गए माप, विशिष्टियाँ, अभिन्यास, आदि वास्तुविद् द्वारा परिकल्पित आधार पर तैयार ड्राईंग एवं छायावृत्तियाँ हैं। इनमें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अथवा वास्तुविद्/सलाहकार द्वारा परिवर्तन/विस्तार आदि आवश्यकतानुसार किये जा सकते हैं।
2. यह विवरण पुस्तिका वैधानिक दस्तावेज नहीं है।



LAYOUT PLAN

LOCATION PLAN

PROPOSED NEW COLONY



सामान्य आवास योजना देवरीखुर्द फेस-2 बिलासपुर (छ.ग.)



आवेदन पत्र एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें

टोल फ्री नं. 18001216313

Website : cggb.gov.in

संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र बिलासपुर (हार्डटेक बस स्टैण्ड) तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

मो. 8103002219, 9993338399, 9584387227

सहायक अभियंता

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, उप संभाग क्र. 3 (के.बी.टी. कॉम्पलेक्स) मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)

मो. : 7000508808, 8103618401, 7869476948

कार्यपालन अभियंता

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग, बिलासपुर (हार्डटेक बस स्टैण्ड) तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) मो. 9406440772

हम मकान नहीं घर बनाते हैं, पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं...

- विशेष टीप :
1. इस विवरण पुस्तिका में दिए गए माप, विशिष्टियाँ, अभिन्यास, आदि वास्तुविद् द्वारा परिकल्पित आधार पर तैयार ड्राईंग एवं छायावृत्तियाँ हैं। इनमें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अथवा वास्तुविद्/सलाहकार द्वारा परिवर्तन/विस्तार आदि आवश्यकतानुसार किये जा सकते हैं।
 2. यह विवरण पुस्तिका वैधानिक दस्तावेज नहीं है।